अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2011

का.आ. 1265(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है ; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं साठ दिन के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसे व्यक्ति जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध हैं; वे ऐसा इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित में सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ, काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या इलेक्ट्रानिकली ई-मेल पता- envisect@nic.in. पर भेज सकेंगे ।

प्रारूप अधिसूचना

नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य देश के पृथक जैव प्रांत के अधीन आता है और सुभिन्न वंशानुगत भास्तीय वन्य क्षेत्र के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें घास रहित भूमि है और मानव निर्मित वनों के घने क्षेत्र हैं, तटीय रेखा के कारण आंशिक रूप से जलीय भूमि है तथा विभिन्न आकार के लगभग 45 लेंटिक जलीय भूमि है और इसमें अनेक विरल तथा लुप्तप्राय प्रजातियों के गृह उपलब्ध हैं जैसे चिंकारा, केराकल, मेंडिया, चीता, कांटेदार पूंछवाली छिपकली, रेगिस्तानी बिल्ली, भारतीय महान सोन चिड़िया, रेजर फ्लोरीकेन, होबरा बस्टर्ड आदि अभ्यारण्य क्षेत्र सापेक्षतः खनिजों से भरपूर है, जिसमें मुख्य खनिज चूना पत्थर, लिग्नाइट, बेंटोनाइट और बाक्साइट हैं ;

और नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय संवेदनशील अंचल के रूप में पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण और परित्राण करना आवश्यक है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भीतर के क्षेत्र को, जो गुजरात राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न है पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

नारायण सरोवर पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल की सीमाएं-

(1) नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य देश के पश्चिमी भाग में अधिकांशतः अवस्थित है । जिसकी सीमाएं प्रशासनिक रूप से 23^0 27' से 23^0 42' उत्तरी अक्षांश के बीच और 68^0 30 से

68^0 57' पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है । अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ जिला के लखपत तालुक के भीतर अवस्थित है । अभ्यारण्य उत्तरी पश्चिमी भाग कोरी क्रीक से घिरा है और कच्छ वनस्पति पश्चिम में है तथा पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी ओर किन्हीं महत्वपूर्ण भूमि संरचना का अवलोकन नहीं किया गया है ।

(2) लगभग 22588.00 हेक्टेयर के समानांतर क्षेत्र को पारिस्थितिकीय संवेदनशील अंचल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत लखपत तालुक, जिला कछ के 28 ग्राम और नखरत्न जिला कच्छ का एक ग्राम तथा अबदासा तालुक जिला कच्छ के दो ग्राम और 8531.00 हेक्टेयर वन भूमि और 14057.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि हैं ।

(3) अभ्यारण्य की बाह्य सीमा से 2.5 किलोमीटर के सम्मिलित जोन के भीतर दो उपजोनों में पारिस्थितिकीय संवेदनशील अंचल को विभाजित करने का प्रस्ताव है । जों निम्नानुसार हैं :–

उप जोन क : 2.5 किलोमीटर के सम्मिलित जोन के भीतर क्षेत्र जहां जल निकास लाइनें अभ्यारण्य क्षेत्र की ओर हैं तथा चट्टान सापेक्ष रूप से पथरीली है जैसे एक ओर यह जोन अभ्यारण्य में विभिन्न जल स्रोतों या जल निकायों के लिए संलग्न क्षेत्र का भाग है और दूसरी ओर चट्टान की गत प्रकृति के सापेक्षतः के कारण जल जनित प्रदूषण का भूमिगत जल पर अत्यधिक प्रभाव है ।

उप जोन ख : वह क्षेत्र जहां जल निकास लाइनें अभ्यारण्य क्षेत्र से बाहर की ओर जाती हैं वहां इस क्षेत्र में चट्टाने सापेक्ष रूप से अप्रवेश्य हैं ।

(4) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल का मानचित्र अधिसूचना के साथ उपाबंध क के रूप में संलग्न है और नारायण सरोवर पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध ख के रूप में संलग्न हैं ।

(5) नारायण सरोवर पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

2. नारायण सरोवर पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए आंचलिक मास्टर प्लान-

1. नारायण सरोवर पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए आंचलिक मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन से तैयार किया जाएगा ।

2. आंचलिक मास्टर प्लान में सभी संबद्ध राज्य विभागों को सम्यक रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा जिसमें पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगर पालिक विभाग, राजस्व विभाग सम्मिलित होंगे और इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समन्वित करने के लिए गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सम्मिलित होगा ।

3. आंचलिक मास्टर प्लान में अनाच्छादित क्षेत्र को बनाए रखने, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, संलग्न क्षेत्रों के प्रबंध, जल प्रबंध, भूमिगत जल बहाव, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताएं और पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

4. आंचलिक मास्टर प्लान पूजा स्थलों, सभी विद्यमान ग्राम स्थापन, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा।

5. हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय आंचलिक मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिलकुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

6. 5000 की जनसंख्या और उससे ऊपर के सभी मानव आवासीय क्षेत्रों के पास क्षेत्र विकास योजना होगी और वह स्थानीय स्वशासी सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

7. पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए आंचलिक मास्टर प्लान की तैयारी तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसके अनुमोदन के लंबित रहने के दौरान सभी नए संनिर्माणों को प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा 4 में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

8. वन क्षेत्र, हरित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी और अनुपयोगी या गैर उत्पादक कृषि क्षेत्रों को वन क्षेत्रों में संपरिवर्तित किया जा सकेगा ।

9. आंचलिक मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय के लिए जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है , एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

10. राज्य सरकार, यदि आवश्यक हो, उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त उपायों को विनिर्दिष्ट करेगी ।

3. पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में विनियमित और निर्बंधित क्रियाकलाप-

(1) औद्योगिक इकाइयां- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् अभ्यारण्य की 500 मीटर की परिधि के भीतर कोई औद्योगिक विकास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(ख) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों पर पारिस्थितिक भंगुर क्षेत्र में 500 मीटर की परिधि के परे न्यूनतम 50 मीटर चौडी हरित पट्टी की व्यवस्था के साथ विचार किया जाएगा ;

(ग) जहां पारिस्थितिक भंगुर क्षेत्र 2.5 किलोमीटर से कम तक सीमित है वहां उद्योग को, यदि अनुज्ञात हों तो सुरक्षित रक्षोपाय सुनिश्चित करने चाहिए जिनके अंतर्गत 50 मीटर चौडी मानीटरी पट्टी और 200 मीटर चौडी हरित पट्टी तथा 250 मीटर चौडी गैर क्रियाकलाप जोन 500 मीटर पारिस्थिकीय भंगुर जोन में बनाए रखनी चाहिए ।

(2) उत्खनन और खनन :- (क) उप जोन क में खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ; यदि इस क्षेत्र में खनन किया जा रहा है तो ढीली मिट्टी या खनन प्रदूषक जल निकास पथ की ओर अग्रसर होंगे तथा अभ्यारण्य क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते है ।

(ख) उप जोन ख में खनन कार्य विभिन्न नियंत्रण और उपशमन उपायों के साथ अनुज्ञात किया जा सकेगा क्योंकि ढीली मिट्टी या खनन प्रदूषक, जो जल निकास मार्ग की ओर अग्रसर होंगे अभ्यारण्य से दूर प्रवहित होंगे अतः उनसे अभ्यारण्य में जल निकायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है और उनसे वन्य जीव अभ्यारण्य के आवासन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) खनन से संबंधित गुजरात पारिस्थितिकी शिक्षण और अनुसंधान प्रतिष्ठान की सिफारिशें इस अधिसूचना के साथ उपाबंध ग के रूप में संलग्न हैं,उनका अनुपालन जोन में कोई खनन क्रियाकलाप करते समय किया जाएगा :

परंतु मानीटरी समिति, स्थानीय निवासीय आवास के संनिर्माण, स्थल, अपेक्षा मूल्यांकन पर आधारित सड़कों के संनिर्माण और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित सीमित उत्खनन सामग्रियों के लिए विशेष अनुज्ञा अनुदत्त करने के लिए प्राधिकारी होगी ।

(3) वृक्ष :- वन में वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना या प्रबंध योजना के अनुसार होनी चाहिए और निजी या राजस्व भूमि पर कटाई राज्य विनियमों के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी ।

(4) पर्यटन- पर्यटन क्रियाकलाप पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार होंगे जो पारिस्थितकीय शिक्षा और पारिस्थितकीय विकास पर बल देंगे तथा पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पर्यटन विभाग के सौजन्य से तैयार किए जाएंगे जो जोनल मास्टर प्लान का एक संगठक होगा ।

(5) भूमिगत जल- भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल भूखंड के अधिभोगी की सदृभावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का निष्कर्षण वाणिज्यिक और औद्योगिक काम्प्लेक्सों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय जिसके अंतर्गत कृषि द्वारा संदूषण भी है, किए जाएंगे ।

(6) प्लास्टिक का उपयोग - कोई व्यक्ति पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल क्षेत्र के भीतर प्लास्टिक के थैलों का उपयोग नहीं करेगा और प्लास्टिक वस्तुओं का व्ययन कड़ाई से विनियमित किया जाएगा ।

(7) ध्वनि प्रदूषण - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, गुजरात पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने के लिए प्राधिकारी होगा ।

(8) **बहिस्रावों का निर्वहन** - पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्रांव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** :- (क) ठोस अपशिष्ट का व्ययन समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ. 908 (अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 के अधीन नगर पालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार क्रियान्वन किया जाएगा ।

(ख) (i) स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजना तैयार करेंगी ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री खाद बनाकर या क्रमित अधिमानतः खाद या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित की जाएगी ।

(iii) अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा ; और

(iv) पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल में ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) प्राकृतिक झरना- सभी झरने के जल आगम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके प्राकृतिक संस्थापन में संरक्षण और उनके नवीकरण, जो सूख गए हैं, की योजनाओं को जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा और इन क्षेत्रों या उनके निकट विकास के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कड़े मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

4. **मानीटरी समिति-**

(1) केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए नारायण सरोवर पारिस्थितकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) उपपैरा (1) में निर्दिष्ट मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात् :–

(क) कलेक्टर, कच्छ - अध्यक्ष ;
(ख) भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
(ग) पर्यावरण के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए -सदस्य ;
(घ) प्रादेशिक अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कच्छ -सदस्य ;
(ङ) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार- सदस्य ;
(च) उप वन संरक्षक (अभ्यारण्य का भारसाधक) कच्छ-सदस्य सचिव ;

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) उन क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुज्ञा या पर्यावरणीय अनुमति अपेक्षित है, ऐसे विषय राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं0 का0आ0 1533, तारीख 14 सितंबर, 2006 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्रा दर मुद्रा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(8) पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के लिए प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. गुजरात/1/2009-ईएसजेड]

डॉ. जी.वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

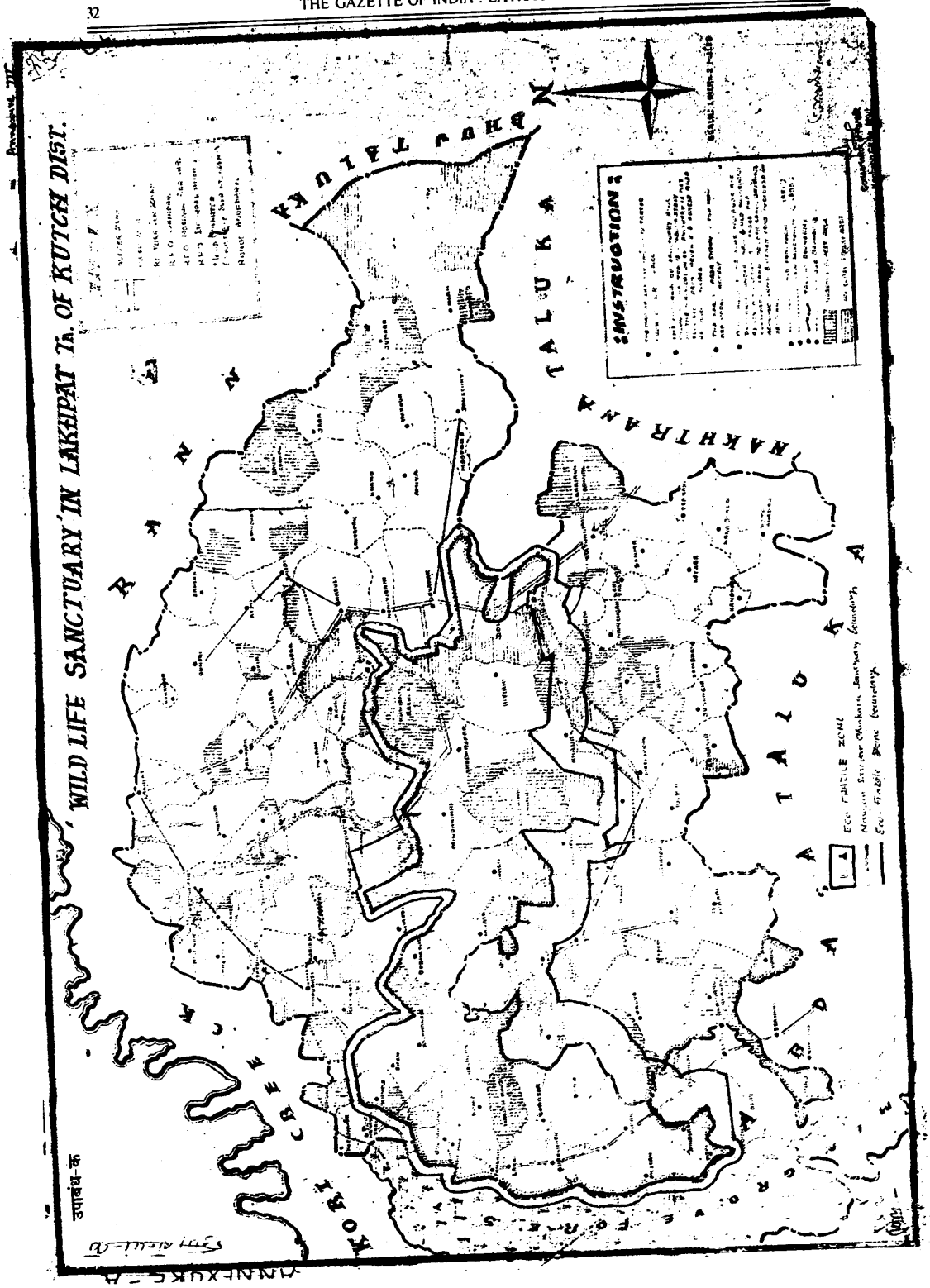

उपाबंध-क
WILD LIFE SANCTUARY IN LAKHPAT Ta. OF KUTCH DIST.
INSTRUCTION :
NAKHTRANA
TALUKA
KORI
CREEK

उपाबंध -ख
(पैरा 1(4) देखें)

ग्रामों की सूची

क. तालुक अबडासा

होथियाई, गोलेय

ख. तालुक लखपत

शेह, केयारी, नारेदी, पन्नाढारो, खनोत, अकरी, धरेशी, नानी-विरानी, दयापार, अमिया, माता ना माध, असाल्दी, सुजावरी- वंध, रावेश्वर, खादक, नानी सारन, खरोडा, चाकरी, बारांदा, नरेदा, बुद्ध, लक्षीरानी, बाजपर, रतिपल, सी-कोस्ट, नारायण सरोवर, कोटेश्वर, धुनाय ।

ग. तालुक नखत राना

पनेली ।

2.0 शामिल किए जाने वाले क्षेत्र और ग्रामों के ब्यौरे

लगभग 22588.00 हेक्टेयर परिधीय क्षेत्र, पारि संवेदनशील ज़ोन के रूप में घोषित करना प्रस्तावित है । इसमें लाखापत, अवदासा और नाखाटराना ताल्लुक के 31 गांव शामिल हैं । क्षेत्र के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्र. सं.	गांव का नाम	ताल्लुक	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)			सीमाएं
				वन क्षेत्र	गैर-वन क्षेत्र	कुल क्षेत्र	
1	शेह	लाखापत	37	-	70.00	70.00	**उत्तर :** शेहकेयारी नारेदी पंधारो खानोट अकारी धारेशी गांवों का कुछ क्षेत्र
2	केयारी		15,16,27, 29,30,32, 34	215.00	115.00	330.00	
3	नारेदी	लाखापत	38	75.00	660.00	735.00	
4	पंधारो	लाखापत	255	750.00	1000.00	1750.00	
5	खनोट	लाखापत	51	-	296.00	296.00	
6	आकरी	लाखापत	46	157.00	-	157.00	
7	धारेशी	लाखापत	189	-	170.00	170.00	
8	नानीबीरानी	लाखापत	271	-	125.00	125.00	**पूर्व :** नानी-वीरानी दयापार अमिया और पनेली का कुछ क्षेत्र
9	दयापार	लाखापत	569	-	760.00	760.00	
10	अमिया	लाखापत	170	-	80.00	80.00	
11	पनेली	नाखट राना	258	-	345.00	345.00	
12	मातान मद	लाखापत	189	-	250.00	250.00	**दक्षिण :** का कुछ क्षेत्र
13	असाल्दी	लाखापत	40	125.00	550.00	675.00	
14	सूजरबरीह वंग	लाखापत	14	170.00	160.00	330.00	मतना, मद, असलदी सूजावरी वंध, रामेश्वर खड़क नानी सरन, चाकराई खरोदा
15	रावेश्वर	लाखापत	5	600.00	100.00	700.00	
16	खडक	लाखापत	29	175.00	950.00	1125.00	
17	नानी सरन	लाखापत	39/1	-	500.00	500.00	
18	खारोक्ष	लाखापत	टीएस सं.	-	120.00	120.00	
19	चाकरई	लाखापत	41	475.00	800.00	1275.00	

20	बांरादा	लाखापत	133	400.00	1350.00	1750.00	बारांदा नारेदो, लाक्समिरानी, लाखापत तालुका का जादबा और होथीयाई, अबदासा तालुका का गोलाए
21	नरेदा	लाखापत	23	400.00	475.00	875.00	
22	बुद्धा	लाखापत	88		1521.00	1521.00	
23	लक्शिराई	लाखापत	31	780.00	908.00	1688.00	
24	भजपार	लाखापत	7	266.00		266.00	
25	रातीपाल	लाखापत	1	1475.00		1475.00	
26	होथीयाई	अबदासा	101 से 120		197.00	1197.00	
27	गोलाए	अबदासा	81,83 से 91,94 से 97,99, 100,108, 109,114 से 136	600.00	400.00	1000.00	
28	समुद्र तट	लाखापत	कच्छ वनस्पति	1600.00		16.00	**पश्चिम** : प. कच्छ वनस्पति, नारायण सरोवर कोटेश्वर और धुने की सीमा
29	नारायण सरोवर	लाखापत	7	10.00	899.00	909.00	
30	कोटेश्वर	लाखापत	2		256.00	256.00	
31		लाखापत	2	258		258.00	
	कुल			**8531.00**	**14057.00**	**22588.00**	

टिप्पणी : कुछ सर्वेक्षण संख्या दोनों उप-क्षेत्रों में सामान्य है लेकिन वास्तविक सत्यापन केवल मैप एवं सुरक्षित क्षेत्र की परिधि से दूरी के आधार पर किया जाएगा ।

अनुबंध -ग
(पैराग्राफ देखें 3(2)(ग))

सिफारिशें

12.1 निम्नलिखित नियंत्रण और न्यूनीकरण उपाय विहित है जो कि खनन कार्य के लिए मंजूरी प्रदान करते समय विभिन्न कानूनी आदेशों के अंतर्गत विहित न्यूनीकरण उपायों अथवा शर्तों के अतिरिक्त है ।

प्रस्तावित उप-क्षेत्र

12.2 पूर्ववर्ती अध्यायों में किए गए विचार-विमर्शों अनुमानों और निकाले गए निष्कर्षों के अनुपालन में अनुबंध -VII में संलग्न मानचित्र में दर्शाए गए उप-क्षेत्र 'ख' में, नीचे उल्लिखित विभिन्न न्यूनीकरण और नियंत्रण उपायों के अध्ययधीन अभयारण्य की सीमा के बाहर 2.5 कि.मी. के बफर क्षेत्र के भीतर खनन की अनुमति दी जा सकती है ।

12.2(1) खनन उप-क्षेत्र 'ख' में यदि अनुज्ञेय किया जाता है (रिपोर्ट के अनुबंध -VII पर मानचित्र) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है किसी भी मामले में अभयारण्य की सीमा के भीतर और अभयारण्य से

बाहर 500 मीटर में नहीं होगा, उक्त पैरा -I में उल्लिखित 500 मीटर की पट्टी 500 मीटर चौड़ी पट्टी उप-ज़ोन 'ख' में निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित की जाएगी । (रिपोर्ट के अनुबंध -IX में मानचित्र)

(i) मॉनीटरिंग उप-ज़ोन के रूप में 50 मीटर चौड़ी पट्टी
(ii) हरित वेस्ट उप-क्षेत्र के रूप में 200 मीटर चौड़ी पट्टी
(iii) खनन रहित उप-क्षेत्र के रूप में 250 मीटर चौड़ी पट्टी

12.2(2) उप-क्षेत्र 'क' में (अनुबंध -VII में मानचित्र), पूर्ववर्ती अध्यायों में विस्तार से चर्चा किए गए कारणों से अभयारण्य क्षेत्र के बाहर 2.5 कि.मी. बफर क्षेत्र के भीतर किसी खनन की सिफारिश नहीं की गई । अत: उप-क्षेत्र 'क' में मॉनीटरिंग उप-क्षेत्र होगा जैसा कि नीचे दिया गया है ।

(i) मॉनीटरन उप-क्षेत्र के रूप में 50 मीटर चौड़ी पट्टी
(ii) हरित पट्टी उप-क्षेत्र के रूप में 200 मीटर चौड़ी पट्टी

(चूंकि अभयारण्य सीमा के बाहर 2.5 कि.मी. बफर ज़ोन के भीतर उप-क्षेत्र 'क' में किसी खनन की सिफारिश नहीं गई, अत: खनन रहित उप-क्षेत्र के रूप में 250 मीटर चौड़ी पट्टी के होने का प्रश्न नहीं उठता)

टिप्पणी-1: अभयारण्य सीमा के बाहर की तरफ 50 मीटर चौड़ी पट्टी को "मॉनीटरिंग क्षेत्र" के रूप में खुला रखा जाएगा । इस क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणत्ता, जल गुणत्ता और ध्वनि प्रदूषण आदि की मॉनीटरिंग के लिए कम से कम 10 स्थायी मॉनीटरिंग स्टेशन होंगे ।

टिप्पणी-2: आस-पास के क्षेत्र में खनन कार्य के बावजूद 200 मीटर चौड़ी हरित पट्टी लगाई जाएगी और ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों तहत खनन क्षेत्रों और बैक फील्ड क्षेत्रों के आस-पास विहित सामान्य रूप से लगाई जाने वाली हरित पट्टियों के अतिरिक्त होगी ।

खनन क्षेत्रों और खनन कार्यों से संबंधित नियंत्रण उपाय

12.3 खनन क्षेत्रों और खनन कार्यों के संबंध में नियंत्रण और न्यूनीकरण उपायों के एक व्यापक समूह की नीचे सिफारिश की गई है ।

12.3(1) अति भार के सभी नए ढेर 2.5 कि.मी. क्षेत्र के बाहर रखे जाए तथापि 2.5 कि.मी. के भीतर पुराने ढेरों को 2.5 कि.मी. क्षेत्र से बाहर हस्तांतरित करने के उद्देश्य से हटाया न जाए क्योंकि इससे अधिक अव्यवस्था होगी, लेकिन ऐसे पुराने ढेर जब भी आवश्यकता हो बैक फिलिंग उद्देश्य से प्रयुक्त किए जा सकते हैं ।

12.3 (2) प्रगामी खनन प्रचालनों का इस प्रकार आयोजन किया जाना चाहिए कि वे अभयारण्य की सीमा से दूरतम स्थान से शुरु हो और अभयारण्य की ओर बढ़ें । यह इसे सुनिश्चित करेगा कि अतिरिक्त भार (जो 2.5 कि0मी0 क्षेत्र के परे होगा) द्वारा उत्पन्न किए गए प्रारम्भिक ढ़ेर को छोड़कर, निरन्तर खनन प्रचालनों के अतिरिक्त भार, पहले से किए गए खनन के उत्खनित क्षेत्र में सीधे बैकफिल किया जाएगा । इसे 2.5 कि0मी0 क्षेत्र के अंदर पाटन की समस्या बड़े पैमाने पर सुलझ जाएगी । तथापि अभयारण्य से 2.5 कि0मी0 से परे अपूरित भार का पाटन किया जाएगा ।

12.3 (3)खनिज की ढुलाई हेतु सेन्ट्रल डिस्पैच प्वाईंट, जहां पर सभी ट्रकों को एकत्रित होना उसे अभयारण्य की सीमा से 2.5 कि0मी0 के परे एक स्थान पर पुनःस्थापित किया जाएगा । इस प्रयोजनार्थ :

I. या तो खनिजों की खनन स्थल से 2.5 कि0मी0 परे ढुलाई केन्द्र तक कन्वेयर बेल्ट द्वारा ढुलाई की जाए अथवा

II. 2.5 कि0मी0 के क्षेत्र के अंदर ट्रकों के आवागमन को कड़ाई से विनियमित किया जाना चाहिए ताकि वे इस क्षेत्र में आवश्यक अवधि से अधिक खड़े समय तक रहे । इस प्रयोजनार्थ, एक विनियामक प्रणाली को अंगीकृत किया जाना चाहिए ।

12.3 (4)यह पूरी तरह सुनिश्चित किए जाए कि 2.5 कि.मी. के क्षेत्र के भीतर लिगर्नाट/कार्बोनेशियज शेल्स को जलाया न जाए । इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विशेष उपाय सुझाए गए हैं ।

i. अधिमार (लिगनाईट खनन के मामले में) के पाटन के समय, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कार्बोनिशयज शेल्स का न्यूनतम स्तर पर पाटन किया जाए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि कार्बोनिशयज शेल्स की प्रकृति स्वतः और नैसर्गिक ऊष्ण और ज्वलन की है ।

ii. (सक्रिय पाटन सहित) सभी सड़कों और कार्य स्थलों पर निरंतर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए ।

iii. टैंकरो द्वारा पानी का छिड़काव इस प्रकार किया जाना चाहिए कि टैंकर के ऊपर से पानी फव्वारे के रुप में गिरे और पानी और ऊँचाई तक उठे तथा विविक्त कण और गैसों के नियंत्रण के अधिक प्रभावी हो ।

iv. सभी कन्वेयन बेल्टों पर विशेषतः जक्शन/ट्रांसफर बिन्दुओं पर नियमित रुप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए ।

v. जहां तक संभव हो, बंद कन्वेयन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए और डस्ट जो या तो उपयोग में लायी जा चुकी हो अथवा अभयारण्य सीमा से 2.5 कि0मी0 से परे पाटन की गई हो, को एकत्रित करने के लिए डस्ट एक्सट्रेक्टर को जक्शन/ट्रांसफर बिन्दुओं पर फिट किया जाना चाहिए ।

12.3 (5) बैकफिल्ड क्षेत्रों को आयोजित और क्रमिक ढंग से वनीकृत किया जाना चाहिए ।

12.3.(6)यदि कोई उत्खनित क्षेत्र अपूरित रहता है और उसके जल निकाय बनने की संभावना है तो ऐसे क्षेत्र को चूना पत्थर जो लिगनाईट खनन क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र के भाग के रुप में स्थानीय तौर पर उपलब्ध हो) से कतारबद्ध किया जाना चाहिए ताकि संचित जल में अम्लता को नियंत्रित रखा जा सके ।

12.3 (7)खनिजों की ढुलाई हेतु ट्रकों द्वारा अपनाये गये मौजूदा मार्ग का वह भाग जो अभयारण्य के कुछ हिस्सों से गुजरता है उसे पुनःपंक्तिबद्ध किया जाना चाहिए ताकि आवागमन के मार्ग अभयारण्य से न गुजरें ।

12.3 (8)खनन क्षेत्र से बाहर जाने के समय छोड़ी गई खान योजना में निर्धारित शर्तें अथवा बन्दी योजना में निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ।

12.3 (9) प्रमुख प्राकृतिक अपवाहिका लाइनों पर अधिकार का कुछ भी पाटन नहीं होना चाहिए ।

12.3 (10) प्रमुख प्राकृतिक अपवाहिका लाइनों पर बहिस्राव अथवा प्रदूषित जल नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2011

S.O. 1265(E).—[The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2), of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary falls under a separate biotic province of the country and represents a distinct gene pool of Indian arid region which posses abundant grass land, coastal areas with dense patches of mangrove forests, partial wetland due to the coast line and around 45 lentic wetlands of varying sizes and it provides home to many rare and threatened species like Chinkara, Caracal, Wolf, Leopard, Spiny-tailed Lizard, Desert Cat, Great Indian Bustard, Lesser Florican, Houbara Bustard, etc.; the sanctuary area is relatively very rich in minerals, the major minerals being Lime Stone, Lignite, Bentonite and Bauxite;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area within the Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary, in the State of Gujarat as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone) the boundary of which is described below:

Boundaries of Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone. –

(1) Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary is located in the Western most part of the country, lies between Latitudes 23°27' N to 23°42' N and Longitudes 68°30' E to 68°57' E; administratively, the sanctuary is located within the Lakhpat Taluka of Kachchh district of Gujarat State; the Kori-creek surrounds the sanctuary on the North West and mangrove

forests on the West and no prominent land features are observed on Eastern, Northern and Southern sides.

(2) The peripheral area of about 22588.00 Hectare is proposed to be declared as Eco-sensitive Zone which includes the 28 villages of Lakhapat Taluka District Kutch and one village of Nakhatrana Taluka District Kutch and two villages of Abdasa Taluka, District Kutch and 8531.00 Hectare of forest land and 14057.00 Hectare of non-forest land.

(3) It is proposed to divide the Eco-Sensitive Zone in two sub zones within the buffer zone of 2.5 kilometer from the outer boundary of the sanctuary as follows:

Sub Zone-A: The area within the buffer zone of 2.5 kilometer where the drainage lines towards the sanctuary area and the rock is relatively pervious; thus, on the one hand, this sub-zone will be a part of the catchments' area for various water courses or water bodies in the sanctuary and, on the other due, the relatively previous nature of rock, water borne pollutants will have more effect on the ground water.

Sub Zone-B: The area where the drainage lines travel outwardly away from the sanctuary area. Moreover, the rocks in this area are relatively impervious.

(4) The map of the Eco-sensitive Zone is appended with this notification as **Annexure. A** and the list of the villages falling within Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure. B.**

(5) All activities in the Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980).

2. Zonal Master Plan for the Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone. –

1. A Zonal Master Plan for the Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification and approved by the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
2. The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue and the Gujarat State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it.
3. The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
4. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
5. No change of land use from green uses such as tea gardens, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

6. All the human habitation areas with populations of 5000 and above shall have Area Development Plan and be prepared under the guidance of local self Government.
7. Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Ministry of Environment and Forests all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinised and approved by the Monitoring Committee as referred in paragraph 4.
8. There shall be no consequential reduction in Forest area, Green area and Agricultural area and the unused or unproductive agricultural areas may be converted into forest areas.
9. The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee of the concerned Eco-sensitive Zone for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.
10. The State Government shall specify additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone.-

(1) Industrial Units: (a) On or after the publication of this notification in the official gazette, no industrial development within 500 meter of the periphery of the Sanctuary shall be allowed;

(b) no polluting industries shall be allowed within the eco-sensitive zone, only non-polluting industries beyond the 500 meter periphery in the eco-fragile area shall be considered with the provision of a minimum of 50 meter wide green belt.

(c) where the eco-fragile zone is limited to less than 2.5 km, the industry, if permitted, must ensure safe guards including 50 meter wide monitoring strip and 200 meter wide greenbelt and 250 meter wide no activity zone shall be maintained in the 500 meter eco-fragile zone.

(2) Quarrying and Mining: (a) No mining shall be allowed in sub-zone A; if mining is done in this area then loose soils or mining pollutants would be following the drainage courses and may adversely affect the sanctuary area.

(b) the mining may be allowed with various control and mitigation measures in sub-zone B as loose soils or mining pollutants which would be following the drainage courses would flow away from the sanctuary and, therefore, are likely not to adversely affect the water bodies in the sanctuary and, therefore, it may not have adverse impact on the habitat of the wildlife sanctuary.

(c) The recommendations of Gujarat Ecological Education and Research (GEER) Foundation related to mining are appended to this notification as Annexure – C which shall be adhered to while carrying out any mining activity in the zone:

Provided that the, Monitoring committee shall be the authority to grant special permission for limited quarrying of materials required for construction of local residential housing, construction and maintenance of roads, based on site requirement evaluation.

(3) Trees: Felling of trees on forest should be as per the Working Plan or Management Plan approved by the Competent Authority and the felling of trees on private or revenue lands may be allowed in accordance with the State regulations.

(4) Tourism: Tourism activities shall be as per as Tourism Master Plan which shall emphasize on ecotourism, eco-education and eco-development and be prepared by the Department of Environment and Forest in collaboration with Department of Tourism which shall be a component of the Zonal Master Plan.

(5) Ground Water: Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption of the occupier of the plot and no extraction of ground water for commercial and industrial complexes shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board and all steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(6) Use of Plastics: No person shall use plastic carry bags within the Eco-sensitive zone area and the disposal of plastic articles shall be strictly regulated.

(7) Noise pollution: The Environment Department or the State Forest Department, Gujarat shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(8) Discharge of effluents: No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and the treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(9) Solid Wastes: (a) The solid waste disposal shall be carried out in accordance with the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified by the Central Government vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000, as amended from time to time.

(b) (i) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
(ii) the biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture;
(iii) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone; and
(iv) no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Natural Springs: The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

4. Monitoring Committee. –

(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification.

(2) The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1), shall consist of not more than ten members who shall represent the following, namely:-

(a) Collector, Kutch – Chairman;
(b) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
(c) one representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of India – Member;
(d) Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Kutch – Member;

(e) Senior Town Planner of the area – Member;

(f) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Sanctuary), Kutch – Member Secretary

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such matters shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority, which shall be the Competent Authority for grant of the clearances in accordance with the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. – 1533, dated the 14th September 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or the Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests.

(8) The Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the Monitoring Committee for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. Gujarat/1/2009-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

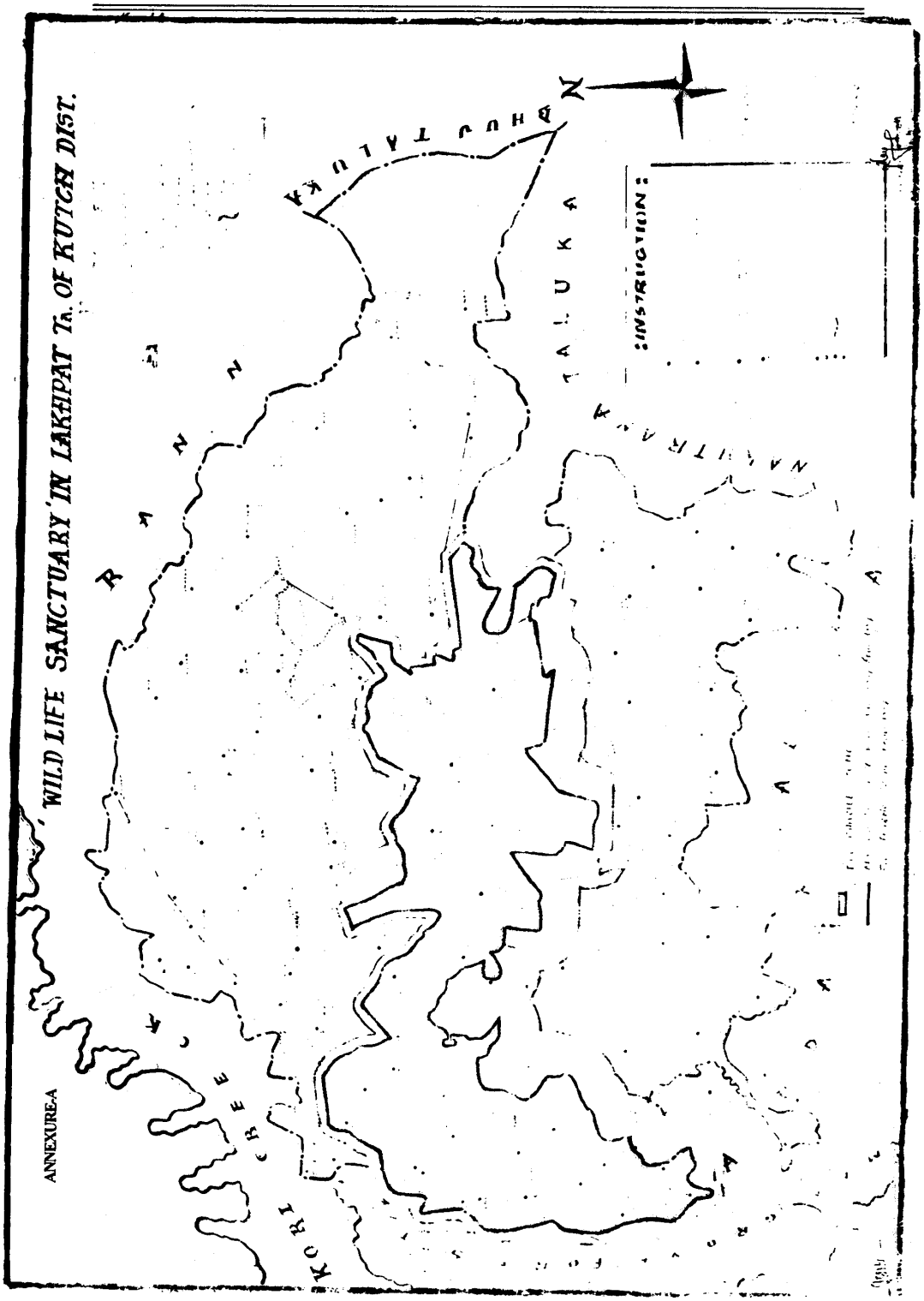

ANNEXURE-A
WILD LIFE SANCTUARY IN LAKHPAT Ta. OF KUTCH DIST.
RANN
BHUJ TALUKA
TALUKA
NAKHTRANA
KORI CREEK
INSTRUCTION:
N

ANNEXURE – B
[See paragraph 1(4)]

List of Villages

A. Taluka Abdasa

Hothiyai, Golay

B. Taluka Lakapat

Sheh, Kaiyari, Naredi, Panandharo, Khanot, Akari, Dhareshi, Nani-Virani, Dayapar, Amiya, Mata na Madh, Asaldi, Sujawari-vandh, Raweshwar, Khadak, Nani saran, Kharoda, Chakrai, Baranda, Nareda, Budha, Lakshirani, Bhajpar, Ratipal, Sea-Coast, Narayan-Sarovar, Koteshwar, Dhunay.

C. Taluka Nakhat Rana

Paneli

2.0 Details of villages and area to be covered

The peripheral area of about 22588.00 ha is proposed to declare as eco-frazile zone. The area includes the 31 villages of Lakhapat, Abdasa and Nakhatran talukas. The details of the area is as follows:

S. No	Name of Village	Taluka	Survey No.	Area (in ha)			Boundaries
				Forests area	Non-forests area	Total area	
1	Sheh	Lakhapat	37		70.00	70.00	North: Part area of sheh, Kaiyari, Naredi, Panandharo, Khanot, Akari, Dhareshi villages
2	Kaiyari	„ „	15,16, 27,29, 30,32, 34.	215.00	115.00	330.00	
3	Naredi	„ „	38	75.00	660.00	735.00	
4	Panandharo	„ „	255	750.00	1000.00	1750.00	
5	Khanot	„ „	51	-	296.00	296.00	
6	Akari	„ „	46	157.00	-	157.00	
7	Dhareshi	„ „	189	-	170.00	170.00	
8	Nani-Virani	„ „	271	-	125.00	125.00	East : Part area of Nani-Virani, Dayapar, Amiya and Paneli
9	Dayapar	„ „	569	-	760.00	760.00	
10	Amiya	„ „	170	-	80.00	80.00	
11	Paneli	NAKHATRANA	258	-	345.00	345.00	
12	Mata na Madh	Lakhapat	189	-	250.00	250.00	South: Part area of
13	Asaldi	„ „	40	125.00	550.00	675.00	

14	Sujawari-vandh	,, ,,	14	170.00	160.00	330.00	Matana Madh, Asaldi, Sujawari-vandh, Raweshwar, Khadak,Nani saran,Chakrai Kharoda Baranda. Nareda,Laxmirani,Jadva of Lakhpat taluka and Hothiyai, Golay of Abdasa Taluka
15	Raweshwar	,, ,,	5	600.00	100.00	700.00	
16	Khadak	,, ,,	29	175.00	950.00	1125.00	
17	Nani saran	,, ,,	39/1		500.00	500.00	
18	Kharoda	"	T.S.No		120.00	120.00	
19	Chakrai	,, ,,	41	475.00	800.00	1275.00	
20	Baranda	,, ,,	133	400.00	1350.00	1750.00	
21	Nareda	,, ,,	23	400.00	475.00	875.00	
22	Budha	,, ,,	88		1521.00	1521.00	
23	Lakshirani	,, ,,	31	780.00	908.00	1688.00	
24	Bhajpar	,, ,,	7	266.00		266.00	
25	Ratipal	,, ,,	1	1475.00		1475.00	
26	Hothiyai	ABDASA	101 to 120	-	1197.00	1197.00	
27	Golay	,, ,,	81,83 to 91 94 to 97, 99,100 ,108,109,114 to 136.	600.00	400.00	1000.00	
28	Sea-Coast	Lakhapat	Mangrove forests	1600.00		1600.00	West: Boundary of west mangrove, Narayan Sarovar, Koteshwar and Dhunay
29	Narayan-Sarovar	,, ,,	7	10.00	899.00	909.00	
30	Koteshwar	,, ,,	2		256.00	256.00	
31	Dhunay	,, ,,	2	258.00	-	258.00	
	TOTAL			8531.00	14057.00	22588.00	

Note: Some survey Numbers are common in both the sub-zones, but the actual verification will be done through Map only and the distance from periphery of PA.

ANNEXURE—C
[See Paragraph 3(2)(C)]

RECOMMENDATIONS

12.1 The following control and mitigation measures are prescribed which are over and above the control and mitigation measures or conditions prescribed under various statutory orders while according sanction to the mining activity.

PROPOSED SUB- ZONES

12.2 Pursuant to all the discussions, inference and conclusions drawn in the foregoing chapters, mining may be permitted in the sub- zone B indicated in the Map at Annexure-VII attached herewith within the buffer zone of 2..5 km outside the sanctuary boundary subject to various mitigation and control measures mentioned below.

12.2(1) Mining, if permitted in sub-zone B (map at Annexure-VII to the report) as mentioned above, would be in no case within 500 meters from boundary of the sanctuary and outside of the sanctuary, the strip of 500 meters width mentioned at para-1 above would be divided into following three parts in sub-zone B (map at Annexure-IX to the report).

(i) 50 meter wide strip as Monitoring Sub-Zone
(ii) 200 meter wide strip as Green Belt Sub-Zone
(iii) 250 meter wide strip as No Mining Sub-Zone

12.2(2) In the sub-zone A (map at Annexure-VII), no mining is recommended within 2.5 km buffer zone outside the sanctuary boundary for the reasons discussed in details in the foregoing chapters. Hence, the sub zone A will have a monitoring sub-zone and a green belt sub-zone as indicated below:

(i) 50 meter wide strip as Monitoring Sub-Zone
(ii) 200 meter wide strip as Green Belt Sub-Zone

(Since, there is no mining recommended in the sub-zone A, within 2.5 km buffer zone outside the sanctuary boundary, there is no question of having a 250 meters wide strip as no mining sub-zone.)

Note-1: *The strip of 50 meters width would be left open around the sanctuary boundary on its outer side as "Monitoring Zone". This zone will have at least 10 permanent monitoring station for monitoring air ambience quality, water quality and noise pollution etc.*

Note-2: *The 200 meter wide green belt would be raised irrespective of mining operation in the vicinity and this will be in addition to the green belts prescribed around the mining areas and backfilled areas as a general practice under MoEF guidelines.*

CONTROL MEASURES RELATED TO MINING AREAS AND MINING OPERATIONS

12.3 *A comprehensive set of control and mitigation measures have been recommended below in relation to the mining areas and mining operations.*

12.3(1) *All new dumps of over burden will be kept outside the zone of 2.5 km However, old dumps even within 2.5 km would not be disturbed for the purpose of shifting them beyond the zone of 2.5 km because it will cause more disturbance. But such old dumps may be used for backfilling purpose as and when required.*

12..3 **(2)** *Progressive mining operations should be planned in such a way that they start from the farthest point from the sanctuary boundary and progress towards the sanctuary. This will ensure that except the initial dump caused by the over burden (which would be beyond 2.5 km zone) the over burden of successive mining operations will be directly backfilled in the excavated areas of a previous mining. This will solve the problem of dumping within the 2.5 km zone to a very large extent. However, any unfilled over burden will be dumped beyond 2.5 km from the sanctuary.*

12..3 **(3)** *For transporting minerals, the Central Dispatch Point where all the trucks assemble will be relocated to a point beyond 2.5 km of the boundary of the sanctuary. For this purpose:*

i. *Either the minerals should be transported from the mining site to the transportation center beyond 2.5 km by means of conveyor belts or*

ii. *The movement of trucks within 2.5 km should be strictly regulated so that they do not remain in this zone for more duration than necessary. For this purpose, a regulatory system should be adopted.*

3 (4) It should be fully ensured that no burning of lignite / carbonaceous shales takes place within the 2.5 km zone. For this purpose, the following special measures are suggested.

i. While dumping the over burden (in case of lignite mining), special care should be taken so that be carbonaceous shales are dumped at the lowest level. This is because carbonaceous shales have the tendency of self and spontaneous heatin) and ignition.

ii. Regular sprinkling of water should be carried out on a continuous basis on all the roads and working places (including active dumps).

iii. The water sprinkling by tankers should be in such a way that the water is pumped up from the top of the tanker in the from of a fountain so that water moves up to more height and is more effective in controlling particulate matter and gases.

iv. Regular water sprinkling should be dorie on all the conveyor belts-particularly at junction / transfer points.

v. As far as possible, closed conveyor system should be adopted and dust extractor should be fitted at junction / transfer points to collect the dust which should be either used up or dumped beyond 2.5 km from sanctuary boundary.

12..3 (5) Backfilled areas should be afforested in a planned and progressive manner.

12..3 (6) In case an excavated area remains unfilled and is likely to become a water body, such an area should be lined with lime stone (which is locally available as a part of the over burden even in the lignite mining area) so that the acidity in the accumulated water is kept under control.

12..3 (7) The part of the existing routes adopted by trucks for the transport of minerals which pass through some parts of the sanctuary should be realigned so that the transportation routes do not pass through the sanctuary.

12..3 (8) The conditions laid down in the abandoned mine plan or conditions laid down in the mine closer plan should be strictly adhered to, at the tine of moving out of the mining area.

12..3 (9) There should be no dumping of over burden on major natural drainage lines.

12..3 (10) There should be no release of effluents or polluted water on the major natural drainage lines.